बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

राज्य के बाहर से लौटे मजदूरगण के आवासन की व्यवस्था प्रखंड कोरोन्टाईन केन्द्रों में की गयी है। जहाॅ इन्हें **14 दिन** तक रहने के पश्चात घर जाने की अनुमति दी जायेगी तथा घर जाने के पश्चात **07 दिन** तक अपने घर में होम कोरोन्टाईन रहना है। कतिपय व्यक्तियों द्वारा घर जाने के लिए न सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है बल्कि अनुशासन भंग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। **यह स्थिति सर्वथा अवांछनीय है।**

कोरोन्टाईन में रह रहे व्यक्तियों के आवश्यकतानुरूप विभागीय निदेशानुसार सभी सुविधायें मुहैया करायी जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत हो तो उनके द्वारा **जिला नियंत्रण कक्ष** के **दूरभाष संख्या 06337–228984, 229494, 228191** पर सूचना दी जा सकती हैं तथा उनसे प्राप्त सूचना के आलोक में उनकी समस्याओं/शिकायतों का समाधान किया जायेगा। लेकिन शिकायतों के समाधान के लिए अनुशासन भंग करना या कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। **प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1873 दिनांक 13.05.2020** के **आलोक में आदेश निम्नवत् हैं :–**

1. **प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, कोरेन्टाइन कैम्प** सभी कोरोन्टाईन केन्द्रों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचारित करायेंगें कि जो अन्तेवासी **(Inmates) 14 दिन प्रखंड कोरोन्टाईन केन्द्र** में रहने के पश्चात अपने घर में **7 दिन तक होम कोरोन्टाईन** भी अनुशासित ढंग से पूरा करेंगें उन्हें ही **रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति एवं अन्य राशि का भुगतान** किया जायेगा।
2. **प्रखंड विकास पदाधिकारी** उपरोक्त आशय का प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करायेंगे।
3. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी** सभी कोरोन्टाईन कैम्पों पर **जिला नियंत्रण कक्ष** का **दूरभाष संख्या 06337–228984, 229494, 228191** अंकित करायेंगें तथा यह प्रचारित करायेंगें कि अन्तेवासी **(Inmates)** इस नम्बर पर सम्पर्क कर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
4. **प्रखंड विकास पदाधिकारी** यह भी प्रसारित करायेंगें कि जिस अन्तेवासी द्वारा अनुशासन भंग किया जाता है अथवा विधि–व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की जाती है उनके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये जायेंगें ।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 662/डी0एम0 अरवल दिनांक 14/05/2020।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अरवल एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

E:\Mukesh\GP Arwal\2020\Corona\Order 052.doc